



छत्तीसगढ़ विधान सभा

(चतुर्थ)

फरवरी—मार्च, 2017 सत्र

वर्ष 2017—2018 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या — 1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71, 65,

मांग संख्या — 9, 8, 47, 35, 58, 44, 46,

मांग संख्या — 3, 4, 5, 20,

मांग संख्या — 55, 34,

मांग संख्या — 17, 26 तथा 37 से संबंधित

○ ○ ○ **भाग - तीन** ○ ○ ○

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण
1.	डॉ. रमन सिंह	1	सामान्य प्रशासन
		2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
		60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
		12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
		25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
		32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
		71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
		65	विमानन विभाग
2.	श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
		8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
		47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
		35	पुनर्वास
		58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
		44	उच्च शिक्षा
		46	विज्ञान और टेक्नालॉजी
3.	श्री रामसेवक पैकरा	3	पुलिस
		4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		5	जेल
		20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
4.	श्रीमती रमशीला साहू	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय
		34	समाज कल्याण
5.	श्री दयालदास बघेल	17	सहकारिता
		26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
		37	पर्यटन

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2017 सत्र में प्रस्तुत वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये हैं।

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.

वर्ष 2017–2018 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग –तीन में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष
 2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
 3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
 4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
 5. डॉ. (श्रीमती) रेणू जोगी, सदस्य
 6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
 7. श्री अरूण वोरा, सदस्य
 8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य
 9. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
 10. श्री अमरजीत भगत, सदस्य
 11. श्री कवासी लखमा, सदस्य
 12. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य
 13. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य
 14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य
 15. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
 16. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य
 17. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
 18. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य
 19. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य
 20. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य
 21. श्री मोहन मरकाम, सदस्य
 22. श्री उमेश पटेल, सदस्य
 23. श्री चुन्नीलाल साहू(अकलतरा), सदस्य
 24. श्री संतराम नेताम, सदस्य
 25. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य
 26. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य
 27. श्री दीपक बैज, सदस्य
 28. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य
 29. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
 30. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य
 31. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य
 32. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य
 33. श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य
 34. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य
 35. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य
 36. डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य
-

मांग संख्या- 1

सामान्य प्रशासन

मतदेय राशि

रूपये 2,98,47,74,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक -1

1. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रशासनिक आतंकवाद को रोकने हेतु प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जल संसाधन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार एवं गुणवत्ता विहीन कार्यों की जांच के लिए मुख्य तकनीकी परीक्षक अथवा सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में जीरो टालरेन्स के तहत किए गए भ्रष्टाचार प्रमाणित होने के पश्चात भी अधिकारियों पर कार्यवाही करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) भ्रष्टाचार रोकने हेतु सशक्त लोकपाल बनाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री लखमा कवासी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को पदोन्नति हेतु सेटअप बनाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) स्व. बिसाहूदास महंत पुरस्कार की राशि दो लाख से पांच लाख किए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में निर्वाचन कार्य में संलग्न संविदा/मानदेय कर्मचारियों के नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।

5. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में आदिम जाति विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत वर्ग-1 एवं वर्ग-2 के अधिकारियों पर आरोप सिद्ध होने के पश्चात् भी दण्ड हेतु प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।
- (2) आदिम जाति कल्याण विभाग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु नियमों के अनुकूलन का उल्लेख नहीं है।
- (3) जीरो टालरेन्स के तहत किए गए भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होने के बाद भी अधिकारियों पर कार्यवाही किए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) आदिम जाति कल्याण विभाग के लिपिकों को समय-सीमा में पदोन्नति देने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज व्यवस्थाओं में प्रशासनीक हस्तक्षेप को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (7) शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के समय पर पदोन्नति देने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बलौदा ब्लॉक की तहसील मुख्यालय में सिविल न्यायालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर विधानसभा के विकासखंड बकावंड एवं बस्तर में पर्याप्त शासकीय आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

8. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मस्तुरी विधानसभा में शिक्षक आवास गृह निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या- 2

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मतदेय राशि

रूपये 28,73,05,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 1

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

जन शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में निर्मित हो रहे सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के लोक निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हो रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता विहीन कार्यों जांच का उल्लेख नहीं है।

3. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में कार्यरत संविदा/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितकरण का उल्लेख नहीं है।

4. डॉ प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के समस्त विभागों में रिक्त पदों में भर्ती हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

5. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नक्सली द्वारा मारे गए आम नागरिकों के परिवार के सदस्यों पुत्र, पत्नि अविवाहित भाई बहन अथवा विवाहित भाई-बहन आदि को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में चल रहे अधिकारी राज को समाप्त करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या- 6
वित्त विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 53,44,51,10,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 4

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को सातवां वेतनमान लागू करने हेतु प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण में वित्त पोषण के स्रोतों का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी के क्षेत्र में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश में खाद्य सामग्रियों की कालाबाजारी एवं मिलावट के रोकथाम के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रदेश में दैनिक उपयोग के वस्तुओं के बढ़ते दाम के नियंत्रण हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान देने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में फर्जी चिटफंड कंपनियों के संचालन को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) शासन के गलत फैसले से प्रदेश में कर्ज में डुब रहे नागरिकों हेतु सशक्त उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में शासकीय विभागों के स्थापना व्यय को कम कर अधिक राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (4) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सड़क एवं सिंचाई कार्यों हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (5) फर्जी चिटफंड कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी कर नागरिकों से लिए गए धन की वापसी हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केन्द्र के समान सातवां वेतनमान दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

5. श्री लखमा कवासी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केन्द्र के समान सातवां वेतनमान दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।

6. श्री अरुण वोरा, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

प्रदेश में जीवनोपयोगी वस्तुओं की बढ़ रही कीमतों पर नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

प्रदेश के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

8. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

प्रदेश के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

9. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) राजपुर विकासखंड में उपकोषालय स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के कर्मचारियों को अन्य राज्यों के समान सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (3) प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि पंच, सरपंच, बीडीसी, डी.डी.सी. को उचित मानदेय दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश के पंचायत सचिव जो निम्न वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें समान कार्य समान वेतन के अनुसार वेतन दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को जनवरी, 2017 से मंहगाई भत्ता दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

प्रदेश के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

11. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

प्रदेश प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र के समान सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। है।

12. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को सेवा अवधि में चार स्तरीय वेतनमान देने का उल्लेख नहीं है।
- (2) दक्षिण वन मंडल कोण्डागांव में लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के जिलों में कलेक्टरों द्वारा शासकीय आवास के रखरखाव, साजसज्जा में किये जा रहे राशि के अपव्यय को रोकने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (4) निराश्रित वृद्ध निःशक्तजन तथा विधवा पेंशन की राशि 600 रुपये करने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (6) दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य लगातार बढ़ोत्तरी पर नियंत्रण करने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।

13. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के 45 लाख परिवारों को स्मार्ट फोन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ रूपये के लिए गए प्रावधान में गुणवत्ता युक्त स्मार्ट फोन प्रदाय करने वाली कंपनी के नाम का उल्लेख है।

14. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) प्रदेश में पिछले 10-15 वर्षों से कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने अथवा विशेष भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

15. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में कार्यरत स्वीपर्स को नियमित करने एवं वेतन वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का उल्लेख नहीं है।

16. श्री गिरवर जंधेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

17. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के वेतनवृद्धि अथवा वेतनमान में बढ़ोत्तरी हेतु कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस विभाग के कर्मियों प्रदाय भत्तों में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
- (3) संविदा व कलेक्टर दर पर सेवारत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करके उनके वेतनवृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी के साथ उन्हें सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किए जाने का उल्लेख नहीं है।

18. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

19. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश सरकार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों के पदोन्नति हेतु सेटअप बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) जीवन उपयोगी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।

20. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के पंचायत कर्मियों के वेतन वृद्धि भत्ते एवं अन्य राहत पहुंचाने का उल्लेख नहीं है।

21. डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।

22. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के किसानों के धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2100/- तथा 300/- प्रति क्विंटल बोनस देने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

23. श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

24. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केन्द्र के समान सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दामों में हो रही लगातार बढ़ोत्तरी के नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

25. श्री चिन्तामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के नियंत्रण की कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

26. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केन्द्र के समान सातवां वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 60

जिला परियोजनाओं से संबधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 52,71,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –23

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

मांग संख्या –12
ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 17,13,00,39,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –13

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती की रोकथाम हेतु नए सब स्टेशन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के विद्युत विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में प्रस्तावित विद्युत उत्पादन इकाईयों को प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में बायो ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश में किसानों को सस्ते दरों पर बिजली की व्यवस्था किए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती की रोकथाम का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में विद्युत दर में कमी करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश ग्रामों में लो-वोल्टेज की समस्या है जिसके निदान हेतु अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं विद्युत खम्भों की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (2) अभनपुर क्षेत्र के प्रायः सभी ग्रामों में नई बसाहटों तक विद्युत पहुंचाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के महानदी एवं खारून नदी के किनारे के ग्रामों में सिंचाई पंपों का विद्युत कनेक्शन देने हेतु विद्युत ट्रांसफार्मर, विद्युत लाईन एवं सब स्टेशन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) एकल बत्ती कनेक्शन फ्री देने तथा गरीबों को प्रदायित बिजली में छूट प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे अघोषित विद्युत कटौती को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
- (6) विद्युत उत्पादन संयंत्रों में बार-बार आ रही तकनीकी खराबी को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
- (7) बिजली बिल की बढ़ोतरी को रोकने की ठोस योजना का उल्लेख नहीं है।
- (8) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में विद्युत खम्भों के विस्तार के लिए राशि स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है।
- (9) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सीतापुर में प्रत्येक विकासखंडों में हो रही बिजली की कटौती को रोकने का उल्लेख नहीं है।

5. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम कुरदूर, सरगोड़, उमरिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ने के पश्चात भी आठ वर्ष पूर्व स्वीकृत राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में कार्य प्रारंभ कर जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (2) विकासखंड गौरैला के बैगा ग्राम बानघाट पीढा एवं ग्राम पंचायत ठांडपथरा में विद्युतीकरण हेतु कार्य स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

6. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में विद्युत दरों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को रोकने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर-चांपा जिले के मड़वा ताप विद्युत परियोजना में भूविस्थापितों के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर-चांपा विधानसभा के ग्राम खोखरा सहित अनेक ग्रामों में विद्युतीकरण एवं लाईन पोल निर्माण कार्य के विस्तार का उल्लेख नहीं है।
- (3) जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बुढ़ेना स्थित नया तालाब में विद्युतीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ऊर्जा विभाग के माध्यम से बिजली की नयी यूनिट की स्थापना कर विद्युत दरों की वजह से ग्रामीणों के बिजली बिल में हो रही बढ़ोतरी को रोकने के उपाय का उल्लेख नहीं है।

9. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे अघोषित विद्युत कटौती को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) विद्युत दरों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (4) कोण्डागांव जिले में 33 के.व्ही. सब स्टेशन की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (5) कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र में कृषि पंप हेतु विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (6) जिला कोण्डागांव में प्रवाहित नदी के प्रवाह क्षेत्र में बसाहटों के आसपास कृषकों को सिंचाई पंपों के लिए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (7) विधानसभा क्षेत्र कोण्डागांव के ग्राम पंचायतों में चल रहे नलजल योजना को सौर ऊर्जा कृत करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) प्रदेश में एकल बत्ती कनेक्शन फ्री देने का उल्लेख नहीं है।
- (9) बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रदायित बिजली में छूट देने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) लो-वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे अघोषित विद्युत कटौती को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (3) विद्युत शुल्क में लगातार हो रही वृद्धि एवं सिंचाई पंपों हेतु अस्थायी विद्युत कनेक्शनों को स्थायी करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में विद्युत सेवा हेतु पर्याप्त ट्रांसफार्मर की उपलब्धता में सरकार असफल रही है।
- (2) प्रदेश के सभी कृषकों को निःशुल्क विद्युत सेवा उपलब्ध कराने हेतु योजना उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में विद्युत दरों में हो रही लगातार बढ़ोत्तरी पर नियंत्रण करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

12. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधानसभा क्षेत्र सामरी में विद्युत विहीन 203 पारा मजरा टोलों में विद्युतीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) विधान सभा क्षेत्र सामरी के ग्राम मनोहरपुर, दुकरापाठ, उदरसराइ, दमकोड, जोकापाठ, लोहारापाठ, पोड़ीखुर्द, ओकयपाठ, कयसी, पुडडांड, भरतपुर, भुरसाकोन, नवाडीह, रजगाय, कोठली, भालूपानी, समंदरा, दानापाठ, दवागड़ी, चौनपुर, सरैगाजोणी, कसेडी, गडिला, जिंगनिया एवं सुबढना में सौर ऊर्जा से विद्युत उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) विधान सभा क्षेत्र सामरी के पहुंच विहीन क्षेत्रों के सौर चलित ट्यूबवेल खनन का उल्लेख नहीं है।
- (4) विधानसभा क्षेत्र सामरी के अंतर्गत समुचित विद्युत व्यवस्था किए जाने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के किसानों का सस्ते दरों पर बिजली उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती की समस्या के निराकरण हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

14. श्री चिन्तामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) हाई वोल्टेज विद्युत तार के खम्भे दूर-दूर होने के कारण तार लटक रहे हैं तथा कुछ खम्भे भी जर्जर हो गये हैं उसे सुधारने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लो-वोल्टेज एवं बिजली कटौती को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

15. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मनरेगा के तहत किसानों के खेत बाड़ी में खोदे गये कुआ तक सिंचाई हेतु पंप के लिए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

16. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में समुचित विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

17. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विद्युत विहीन ग्रामों में विद्युतीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (2) रामपुर विधानसभा क्षेत्र के 78 ग्रामों, पारा, टोला एवं मोहल्ला में विद्युतीकरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

18. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मुख्यमंत्री एल.ई.डी. बल्ब वितरण के तहत प्रदाय बल्ब खराब होने पर बदलने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

19. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में सरप्लस बिजली के समुचित उपयोग का उल्लेख नहीं है।
- (2) किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बिजली बिल में बढ़ोतरी को कम करने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
- (4) बिना रीडिंग ज्यादा बिजली बिल देने की शिकायतों पर रोक लगाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
- (5) लो-वोल्टेज की समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं है।

20. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में किसानों को सस्ती एवं निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) चित्रकूट विधानसभा के सभी ग्रामों के विद्यतीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बस्तर जिला में 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराने व लो-वोल्टेज की समस्या को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में किसानों को ट्यूबवेल खनन पश्चात अस्थायी/स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

21. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 25

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 10,65,28,02,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक —12

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के जिला खनिज न्यास के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को सदस्य नामांकित किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) जिला खनिज न्यास मद का निष्पक्ष उपयोग किए जाने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में खनिज पट्टे जारी करते समय किसानों के हितों के संरक्षण का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में गौण खनिज उत्खनन में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जोड़ने की योजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का उचित ढंग से वितरण का उल्लेख नहीं है।

4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में विभागों में हो रहे निर्माण कार्यों से खनिज रायल्टी की हो रही चोरी को रोकने में सरकार असफल रही है।
- (2) पूरे प्रदेश एवं अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध मुरम का उत्खनन एवं परिवहन रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) रेत गिट्टी, मुरम का ओव्हर लोड, अवैध परिवहन और चोरी को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (4) रेत खदानों पर हो रही पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश में रेत खदानों पर अघोषित और अनाधिकृत ठेकेदारों पर रोक लगाने हेतु नीति बना कर लागू करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) अभनपुर जिले में अवैध रेत एवं मुरम उत्खनन को रोकने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री लखमा कवासी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पूरे प्रदेश में रेत व मुरम के अवैध उत्खनन को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

6. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कोण्डागांव में पीआरए कंपनी द्वारा किए जा रहे अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

खनिज संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

8. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में हो रहे निर्माण कार्यों की खनिज रायल्टी की हो रही चोरी को रोकने हेतु ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।

9. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में अवैध खनिज परिवहन की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।

10. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जिला खनिज न्यास में न्यासी सदस्य के रूप में निर्वाचित विधायकों को नियुक्त करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) जिला खनिज न्यास में निधि को पर्यावरण संरक्षण में उपयोग किए जाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) महानदी में हो रही अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) अवैध उत्खनन पर रोक लगाने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

12. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लेमरु क्षेत्र में हाथी कारीडोर के निर्माण हेतु कोल माइन्स को आर्बिट्रिट भूमि वापस लेकर निर्माण कराए जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 32

जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 1,56,34,31,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –24

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की योजनाओं के प्रचार-प्रसार में पारदर्शिता बरतने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर विधानसभा के अभनपुर एवं नवापारा में प्रेस क्लब खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न मिडिया को विज्ञापन देने में पक्षपात एवं भेदभाव को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के निर्वाचित विधायकों की जनसंपर्क राशि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 71

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मतदेय राशि

रूपये 2,00,73,60,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक —43

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में आई.टी. पार्क की स्थापना हेतु राशि के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

2. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में आई.टी. पार्क की स्थापना हेतु राशि के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
- (2) स्मार्ट कार्ड योजना के तहत हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

3. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सामरी विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में टेलीफोन या मोबाईल टॉवर लगाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति का लाभ समस्त प्रदेशवासियों को दिलाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में सूचना प्राद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु टॉवर लगाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 65

विमानन विभाग

मतदेय राशि

रूपये 96,76,42,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 44

1. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिलासपुर के हवाई पट्टी चकरभाठा से विमान सेवा प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कांकेर जिला में हवाई पट्टी निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 9

राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 22,98,86,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 7

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के राजस्व अमले से संबंधित रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मजदूरों के पलायन रोकने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण से उत्पन्न कृषकों को परेशानी का निराकरण करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में भूमिहीन लोगों को दी गई काबिल काश्त भूमि की अवैध बिक्री रोकने एवं आबंटन का ग्रामवार ब्यौरा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) अभनपुर क्षेत्र में बंदोबस्त त्रुटि के सुधार करने में का उल्लेख नहीं है।
- (3) गोबरा-नवापारा नगर को विकासखंड बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) अभनपुर क्षेत्र के सभी ग्रामों में फसल अनावरी रिपोर्ट गलत बनाने से किसानों को उचित मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।
- (5) गोबरा नवापारा को जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) अभनपुर तहसील के ग्रामों में कृषि जमीन पर अवैध कालोनी, सड़क एवं अवैध प्लाटिंग को रोकने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामीणों को जमीन का आपसी बंटवारे के तहत जमीन का डायवर्सन हुआ किंतु उक्त जमीनों पर बैंकों द्वारा कर्ज नहीं दिया जाता जिसके समाधान का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पिछड़ा वर्ग के निवासियों को वन अधिकार पट्टा वितरण में भेदभाव किया जा रहा है, जिसके निराकरण का उल्लेख नहीं है।
- (2) कोण्डागांव जिले में हुई बंदोबस्त त्रुटि के सुधार करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) कोण्डागांव जिले के बीजापुर (अमरावती) क्षेत्र को विकासखण्ड बनाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड मुख्यालय में एस.डी.एम. (राजस्व) कार्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर-चांपा जिले में पावर प्लांट लगाने हेतु एम.ओ.यू. कर अनेक उद्योगों ने कृषि भूमि खरीदी और 7 वर्ष से अधिक समय पश्चात् भी संयंत्र स्थापित नहीं किया गया। किसानों की उक्त जमीन वापस दिलाने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के सभी पटवारी हल्कों में पटवारी आवास की उपलब्धता के संबंध में उल्लेख नहीं है।

9. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

खैरागढ़ को जिला बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) राजनांदगांव के सूदूर संवेदनशील क्षेत्र आँधी को प्रशासनिक कसावट के लिए उप तहसील का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रशासनिक कसावट एवं सुरक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से मोहला राजस्व अनुविभाग को राजस्व जिला का दर्जा प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 8

भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

मतदेय राशि

रूपये 13,25,79,44,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 7

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भू-अभिलेख की प्रतिलिपि सहज एवं सुलभ उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आबादी भूमि का पट्टा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

उद्योग के लिये अधिग्रहित भूमि को उद्योग नहीं लगाने की स्थिति में भूमि स्वामियों को भूमि वापस दिलाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

औद्योगिकीकरण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तथा प्रभावितों को रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दलित बस्ती के गरीबों को आवास बनाकर देने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

इंदिरा आवास योजना के तहत हितग्राहियों के अनुदान बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पेण्ड्रा से गोवरा रेल लाईन विस्तर में वन भूमि के अधिग्रहण से के प्रभावित भू-स्वामियों को मुआवजा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लैंकडे पावर प्लांट के भूमि स्थापितों को अभी तक मुआवजा, नौकरी, एम.ओ.यू. का उल्लंघन किया जा रहा है। जांच कराने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में उद्योगों हेतु अधिग्रहित की गई भूमि के अनुबंध का पालन सुनिश्चित करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा में प्रस्तावित टाटा स्टील प्लांट के प्रभावितों को भूमि वापसी का उल्लेख नहीं है।
- (3) चित्रकोट विधान सभा में शासकीय आवास निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश के सभी पटवारी हल्कों में पटवारी आवास की उपलब्धता के संबंध में उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या- 47

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

मतदेय राशि

रूपये 4,16,68,44,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक- 42

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में आयोजित सभी भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में युवा बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क माफी का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के मुनाफों की क्षमता के लिये विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के तकनीकी शिक्षा संस्थानों के रिक्त प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में रोजगार मूलक तकनीकी शिक्षा केन्द्र संचालित करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ते का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की उचित व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सीतापुर के मुख्यालय में आई.टी.आई. खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षा शुल्क में छूट देने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) सीतापुर के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विकासखण्डों में रोजगार का अवसर देकर पलायन से रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

5. श्री कवासी लखमा, सदस्य: एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है। निराकरण का उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) [गौरेला/पेण्ड्रा](#) नगर पंचायत पॉलीटेक्नीक कालेज निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) युवा कौशल, उन्नयन हेतु कोटा विकासखण्ड में बांस प्रशिक्षण व दोना पत्तल मशीन उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) युवा कौशल, उन्नयन हेतु कोटा व मरवाही विधान सभा में सिलाई मशीन तथा कढ़ाई (मरव) उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (4) पकरिया ग्राम पंचायत वेटेनरी पॉलीटेक्नीक सेंटर/कालेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर में नय पॉलीटेक्नीक कालेज प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) अभनपुर विकासखण्ड क्षेत्र के ग्राम तोरला, तामासिवनी एवं खोरपा में आई.टी.आई. की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) चांपा औद्योगिक क्षेत्र है, चांपा में आई.टी.आई. खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा में डिग्री कोर्स प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) नगर पंचायत नवागढ़ में आई.टी.आई. की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के आदर्श ग्राम सेमरा में महिला आई.टी.आई. की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) जिला- जांजगीर-चांपा में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

तकनीकी शिक्षा आई.टी.आई. मोहला, जिला-राजनांदगांव बेहतर ट्रेड एवं बंद पड़ी लाखों मशीनों का सदुपयोग कर बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित युवकों को रोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर संभाग में बेरोजगार इंजीनियरों को पर्याप्त कार्य उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (4) कोण्डागांव जिले में महिला पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय का संचालन करने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री बधेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत महिला आई.टी.आई. प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आई.टी.आई. में कम्प्यूटर हार्डवेयर ट्रेड प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

13 श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क माफ करने का उल्लेख नहीं है।

15. श्रीमती अनिला भेड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में पिछड़ी जाति वर्ग हेतु आई.टी.आई. खोलने का उल्लेख नहीं है।

16. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) शासकीय शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय पेण्ड्रा का भवन स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) आई.टी.आई. पेण्ड्रा में सेटअप के अनुसार पाठ्यक्रम प्रारंभ करने एवं रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

17. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

18. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

स्थापित उद्योग में प्रभावित एवं स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

19.. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर जिले के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) चित्रकोट विधान सभा के अंतर्गत लोहण्डीगुडा, तोकापाल, दरभा व बास्तानार में संचालित आई.टी.आई. में ट्रेड बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) चित्रकोट विधान सभा अंतर्गत महिला आई.टी.आई. प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

20. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालन करने का उल्लेख नहीं है।

21. श्री केशव चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 35

पुनर्वास

मतदेय राशि

रूपये 2,34,73,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 28

1. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पुनर्वास नीति का पालन करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नोटबंदी के कारण व्यापक पैमाने पर श्रमिकों के पलायन को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

3. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर संभाग में खनिज अयस्कों के पूर्वक्षण कार्य में प्रभावितों के पुनर्वास व उनके व्यवस्थापन के लिये कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड बकावण्ड व बस्तर के ग्रामीण/मजदूर/कृषकों के पलायन को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (2) जिला— बस्तर में पुनर्वास अंतर्गत प्रभावितों को तय समय—सीमा में रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य: एक रूपये की कमी की जावे.

जिला — रायगढ़ में पुनर्वास नीति अंतर्गत समय—सीमा में रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण/मजदूर/कृषकों के पलायन को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रस्तावित टाटा स्टील प्लांट क्षेत्र के प्रभावित किसानों को पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली सुविधाएं प्रदान कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) जिला—बस्तर में पुनर्वास नीति अंतर्गत समय—सीमा में रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री केशव चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश से पलायन करने वाले मजदूरों को रोकने के लिये कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 58

प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

मतदेय राशि

रूपये 5,91,93,21,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 7

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में आपदा नियंत्रण एवं बचाव की योजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर विकासखण्ड क्षेत्र के ग्राम बनचरौदा (महानदी) एवं ग्राम आमदी खट्टी ढोंढरा (खारून नदी) में बाढ़ नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
- (2) रायपुर जिले में बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा से काफी अधिक क्षति होती है फिर भी राहत आपदा प्रबंधन हेतु राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

3. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कोण्डागांव जिले के मुनगापदर से मेढ़पाल मार्ग पर पुलिया बह जाने से आपदा निधि से स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) कोण्डागांव जिले के सूखाग्रस्त कृषक परिवार के कन्या विवाह पर सूखा राहत राशि (प्रोत्साहन) राशि का वितरण करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

तंदुला नदी पर ग्राम मिलाई के समीप बाढ़ नियंत्रण हेतु तटबंध निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 44

उच्च शिक्षा

मतदेय राशि

रूपये 6,94,72,16,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 38

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में यू.जी. से पी.जी. के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

2. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

माना बस्ती (रायपुर ग्रामीण) में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर क्षेत्र के ग्राम तामासिवनी एवं खोरपा में महाविद्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) नवापारा (तर्री) शासकीय महाविद्यालय में अतिरिक्त कमरा निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (3) नवापारा (तर्री) शासकीय महाविद्यालय में बाउन्ड्रीवाल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) अभनपुर शासकीय महाविद्यालय में बाउन्ड्रीवाल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

4. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में संचालित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों की कमी है। पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सीतापुर के शासकीय महाविद्यालय में हॉस्टल की पृथक से व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिल्हा विधानसभा के नगरपालिका तिफरा, नगर पंचायत बोदरी एवं सिरगिट्टी में महाविद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

7. श्री अरुण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

महाविद्यालयों में विषयवार प्राध्यापकों की नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बस्तर मुख्यालय में महाविद्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम चिल्हारी में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम ठौकाटोला में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम कुमर्रा में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम उमरवाही में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर-चांपा विधानसभा अंतर्गत फिशरीज में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर-चांपा जिले के चांपा में कन्या महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मौरलिया बांध में महाविद्यालय स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री गिरवर जंधेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बाजार अतरिया में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) उप तहसील सुहेला में शासकीय महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय बलौदाबाजार में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

15. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर के महाविद्यालयों में रिक्त पदों में भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर जिले में नवीन महाविद्यालय स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

16. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

17. डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

महासमुंद विधान सभा के झलप-पटेवा क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

18. श्री केशव चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बम्हनीडीह में महाविद्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भोथिया में महाविद्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिरा में महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।

19. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भटगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विश्रामपुर, भैयाथान, ओढ़गी में संचालित महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षा प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) जिला-सूरजपुर के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) भटगांव विधानसभा क्षेत्र के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के छात्रावास की सुविधा हेतु भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

20. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ब्लाक मुख्यालय विश्रामपुरी, जिला-कोण्डागांव में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

21. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला-राजनांदगांव अंतर्गत औंधी में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

22. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कोण्डागांव जिले के माकड़ी विकासखण्ड में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) कोण्डागांव जिले में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बस्तर विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति गठन का उल्लेख नहीं है।
- (4) कोण्डागांव जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की पदस्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) शासकीय महाविद्यालय गुण्डाधुर में पूर्ण रूपेण प्राचार्य की पदस्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) बस्तर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

23. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

24. श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कांकेर जिला मुख्यालय के शासकीय भानुप्रतापदेव महाविद्यालय में भौतिकी तथा रसायन शास्त्र के विषयों की स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 46

विज्ञान और टेक्नालॉजी

मतदेय राशि

रूपये 21,75,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 42

1. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में विज्ञान एवं टेक्नालॉजी के विकास के क्षेत्र में विकास हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कोण्डागांव जिले के हीरापुर क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. अथवा अन्य सर्विस प्रोवाइडर के टॉवर लगाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) कोण्डागांव जिले के 40 प्रतिशत ग्रामीण बसाहटों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 3

पुलिस

मतदेय राशि

रूपये 37,05,54,30,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 02

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में महिला उत्पीड़न एवं मानव तस्करी रोकने में सरकार असफल रही है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) राजधानी रायपुर में बढ़ रहे अपराधों को नियंत्रित करने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में हो रही फर्जी मुठभेड़ की घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर संभाग अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार—अनाचार की घटनाएं चिंताजनक हैं, नियंत्रण करने में सरकार असफल रही है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में महिला उत्पीड़न एवं मानव तस्करी की घटनाओं के नियंत्रण का प्रावधान नहीं है।

5. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) गौरेला की अच्छी आबोहवा को देखते हुए गौरेला/अमरकण्टक में फॉरेस्ट या पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र आरंभ करने का प्रावधान नहीं है।
- (2) गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही विकासखण्ड के लिए गौरेला में महिला थाना खोलने की स्वीकृति नहीं दी गई है।

6. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जेल में जेल विभाग के माध्यम से कैदियों को भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा है, जेलों में मादक पदार्थ पाये जाने पर रोक लगाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) आये दिन चोरी, मर्डर, बलवा की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, नियंत्रण का प्रावधान नहीं है।

7. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में मानव तस्करी रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में अवैध शराब बिक्री रोकथाम हेतु सभी थानों में अलग से पुलिस बल नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश के गांव-गांव में अवैध शराब बिक्री खुलेआम की जा रही है, जिसे रोकने में पुलिस प्रशासन असफल रहा है।
- (4) प्रदेश में जुआ, सट्टा आदि की रोकथाम करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के संचालकों को गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति जब्त कर निवेशकों की राशि लौटाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं हिंसा की घटनाओं की रोकथाम करने का प्रावधान नहीं है।

8. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में व्याप्त नक्सल समस्या को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटना में लगातार हो रही वृद्धि की रोकथाम करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में नक्सली खात्मे के नाम पर बस्तर में फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मारे जा रहे गरीब आदिवासियों को न्याय दिलाने का प्रावधान नहीं है।
- (4) पुलिस में डायल 112 योजना के तहत पेण्ड्रा थाना क्षेत्र के थाना से 50 किलोमीटर दूर ग्राम आमगांव, टीकरखुर्द इत्यादि गांवों में 30 मिनट में पुलिस कैसे पहुंचेगी जबकि सड़क भी जर्जर हैं, निराकरण करने का प्रावधान नहीं है।

9. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित अनियमित वित्तीय संस्थाओं (चिटफंड) कंपनियों से निवेशकों की राशि वापस दिलाने का प्रावधान नहीं है।

10. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

डोंगरगांव विधान सभा के तुमडीबोड़ पुलिस चौकी की मांग को बजट में शामिल नहीं किया गया है।

11. श्री गिरवर जंधेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में चिटफंड कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नियंत्रण करने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश में हो रही नक्सली घटनाओं की रोकथाम करने में सरकार असफल रही है।
- (3) प्रदेश में बढ़ रहे हत्या, लूट, डकैती की घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने में सरकार असफल रही है।

12. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में मानव तस्करी रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में बढ़ रहे अपराध- हत्या, लूट, डकैती में हो रही वृद्धि को रोकने का प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश में नक्सली समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने का प्रावधान नहीं है।
- (4) आदिवासी क्षेत्रों से युवतियों एवं महिलाओं को अन्य राज्यों में ले जाकर बेचा जा रहा है, जिसकी रोकथाम करने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम करने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्याय (बलात्कार एवं हत्या) की रोकथाम करने का प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश में बढ़ते अपराध की घटनाओं को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में फर्जी चिटफंड कंपनियों पर रोक लगाने का प्रावधान नहीं है।

15. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बढ़ रहे अपराध की रोकथाम करने का उल्लेख नहीं है।

16. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) केशकाल घाट एन.एच. 90 को पार करते समय नागरिकों, मरीजों को होने वाली तकलीफों से बचाव, सुरक्षा उपायों को उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर संभाग में तैनात सहायक आरक्षक के भविष्य के स्थायीकरण व उन्नतशील बनाए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में बच्चियों, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार-अपराध, दुष्कृत्य, अपहरण जैसी घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में मोबाईल के माध्यम से किये जाने वाले अपराध एवं फ्राड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी निगरानी एवं नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

17. श्री चिन्तामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) फर्जी चिटफंड कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में पुलिस थानों में रिक्त पड़े पदों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में मानव अधिकारों के उल्लंघन की लगातार हो रही घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में महिला उत्पीड़न, मानव तस्करी नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश में हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे अपराधों को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है।

18. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में अपराधों के समाधानकारक नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

19. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में फर्जी चिटफंड कंपनियों पर अंकुश लगाने का उल्लेख नहीं है।

20. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) फर्जी चिटफंड कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी कर नागरिकों से लिए गए धन की वापसी कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों पर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बस्तर संभाग में मानव तस्करी रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में हो रहे अपराध (खासकर रायपुर) शहर में व्यापारी/आम नागरिकों की हत्या रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (5) बस्तर में फर्जी नक्सली मुठभेड़ कर आम नागरिकों को मौत के घाट उतार रही पुलिस प्रशासन पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) केशकाल घाट जाम में पुलिस प्रशासन यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) कोण्डागांव जिले में पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (8) पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) कोण्डागांव शहर में हुई आगजनी की घटना में लिप्त दोषियों की पहचान करने का उल्लेख नहीं है।
- (10) कोण्डागांव शहर में खुलेआम हो रही सटटेबाजी, जुआ के खेल में लिप्त लोगों को पकड़ने का उल्लेख नहीं है।

21. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नक्सल समस्या के निराकरण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मानपुर उप पुलिस जिला मानपुर को जो घोर संवेदनशील उप पुलिस जिला है को पूर्ण पुलिस जिला का दर्जा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या- 4

गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मतदेय राशि

रूपये 33,40,95,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 2

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में वामपंथी अग्रवाद को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में कानून व्यवस्था के समुचित एवं सफल नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में लगातार हो रही मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में नक्सलवाद रोकने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में व्याप्त नक्सली समस्या के समाधान हेतु कारगर योजना बनाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में नक्सल समस्या दिनों दिन बढ़ रही है, समस्या का समाधान निकालने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में यातायात की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, यातायात को सुगम-व्यवस्थित बनाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

चांपा शहर में महिला थाना आरंभ करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम अर्जुनी में पुलिस चौकी खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने वाली संघातिक घटनाओं के उपरांत तुरंत मदद हेतु एयर एम्बुलेंस व सेना के हेलिकाप्टर की तैनाती, मदद प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है।

8. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में व्याप्त नक्सली समस्या के स्थायी समाधान हेतु कार्ययोजना बनाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधान सभा क्षेत्र के बस्तर व बकावण्ड विकास खण्ड में पुलिस चौकी से पुलिस थाना के रूप में उन्नयन किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में कार्यरत पुलिस बल के जवानों को देय भत्तों को देने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के पुलिस कर्मियों को शासकीय आवास उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर में व्याप्त नक्सल समस्या के समाधान करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 5

जेल

मतदेय राशि

रूपये 1,61,12,70,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 3

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में स्थापित जेलों के विस्तार की किसी योजना का प्रावधान नहीं है ।
- (2) प्रदेश की जेलों में निरुद्ध पुरुष कैदियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास हेतु किसी योजना को बनाने का उल्लेख नहीं है ।
- (3) प्रदेश की महिला जेलों में निरुद्ध कैदियों के मानसिक एवं शारीरिक संरक्षण हेतु किसी कार्ययोजना को लागू करने का उल्लेख नहीं है ।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की जेलों में कैदियों हेतु मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है ।

3. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं। जेल गृहों की क्षमता बढ़ाने तथा अतिरिक्त जेल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है ।

4. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है, आवश्यकतानुसार नवीन बैरक बनाये जाने का उल्लेख नहीं है ।

5. श्री गिरवर जंधेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है, जेल गृहों की क्षमता बढ़ाने तथा अतिरिक्त जेल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है ।

6. श्री चिन्तामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को निरुद्ध रखा जा रहा है, अतिरिक्त जेलों के निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है ।

7. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कोण्डागांव जिले में जिला जेल खोलने हेतु राशि का प्रावधान नहीं है ।
- (2) प्रदेश के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं, जेल गृहों की क्षमता बढ़ाने तथा अतिरिक्त जेल निर्माण करने का प्रावधान नहीं है ।

8. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की विभिन्न जेलों में काष्ठ कला के प्रशिक्षण प्राप्त बंदियों के जेल से रिहा होने के पश्चात् उनके द्वारा निर्मित काष्ठ सामग्री के लिये बाजार उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं किया गया है ।

मांग संख्या – 20
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

मतदेय राशि

रूपये 6,31,95,16,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 34

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा: एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था के स्थायी समाधान का उल्लेख नहीं है ।
- (2) प्रदेश के लंबित जल प्रदाय योजनाओं के शीघ्र पूर्ण किये जाने का प्रावधान नहीं है ।
- (3) प्रदेश में जल प्रदाय एवं सीवरेज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है ।
- (4) प्रदेश में भू-जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है ।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है ।
- (2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में नल-जल योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है ।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नगर निगम बिरगांव में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है ।
- (2) प्रदेश में भूमिगत जल के गिरते स्तर को रोकने हेतु कारगर उपायों का प्रावधान नहीं है ।
- (3) नगर निगम बिरगांव में जल आवर्धन योजना हेतु कोई प्रावधान नहीं है ।

4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में सोलर पंप नलकूल लगाने का उल्लेख नहीं है ।
- (2) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के नलकूप में पानी नहीं आ रहा है, जिसमें पाइप बढ़ाने का उल्लेख नहीं है ।
- (3) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के 2000 से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों में नलजल योजना स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है ।
- (4) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र में नये नलकूप उत्खनन करने तथा बंद पड़े नलकूपों को सुधारने का उल्लेख नहीं है ।
- (5) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में दो-दो की संख्या में नये नलकूप स्थापित करने का उल्लेख नहीं है ।

5. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सीतापुर के अंतर्गत आने वाले विकासखण्डों में पेयजल की समुचित व्यवस्था किये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है ।

6. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर संभाग में शुद्ध पेयजल का संकट व्याप्त है, आपूर्ति हेतु योजना का उल्लेख नहीं है ।

7. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सरकार ने लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग को मजबूत बनाने एवं प्रदूषित जल को शुद्ध कर जल आपूर्ति किये जाने हेतु कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है ।

8. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दुर्ग शहर में पेयजल संकट दूर करने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

9. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में भूमिगत जल में निरन्तर हो रही गिरावट को रोकने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है ।
- (2) प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने जाने का बजट में उल्लेख नहीं किया गया है ।
- (3) जिला बस्तर अंतर्गत जल आवर्धन योजना को लागू/प्रभावी करने का प्रावधान नहीं है ।
- (4) प्रदेश में सार्वजनिक स्थल हाट बाजार श्मशान घाट में पेयजल सुविधा हेतु नलकूप व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है ।
- (5) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के सभी ग्रामों में नए नलकूप खनन करने तथा बंद पड़े नलकूपों को सुधारने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
- (6) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखण्ड एवं बस्तर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में भूजल स्तर की गिरावट से नलकूप खनन नहीं हो रहा है, नलकूपों की गहराई बढ़ाने का प्रावधान नहीं है ।

10. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के अधिकांश गांवों में गर्मी के महीने में पेयजल की भीषण समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके समुचित उपाय किए जाने का उल्लेख नहीं है ।

11. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम तेलीन बांधा में उच्चस्तरीय पानी टंकी के निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है ।
- (2) ग्राम ग्राम महाराजपुर में उच्चस्तरीय पानी टंकी के निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है ।
- (3) ग्राम सागर में नल जल योजना के तहत निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है ।

12. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं है ।

13. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बोर खनन एवं पानी टंकी निर्माण हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं किया गया है ।

14. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सामरी विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान बजट में शामिल नहीं किया गया है ।

15. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रांतर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पाईप लाईन विस्तारीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है ।
- (2) बस्तर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
- (3) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में सभी ग्रामों में नये नलकूप खनन करने तथा बंद पड़े नलकूपों को सुधारने हेतु बजट में उल्लेख नहीं किया गया है ।
- (4) प्रदेश के 2000 से अधिक जनसंख्या वाले हजारों ग्रामों में नल जल योजना की स्थापना करने का बजट में उल्लेख नहीं किया गया है ।
- (5) प्रदेश में दूषित जल के शुद्धिकरण एवं जल स्रोत बढ़ाने के उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है ।

16. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में समुचित पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं किया गया है ।
- (2) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बजट में उल्लेख नहीं है ।

17. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भूमिगत जल स्रोतों में आ रही गिरावट को रोकने का प्रावधान नहीं है ।
- (2) बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में नल जल योजना प्रारंभ करने का उल्लेख बजट में नहीं किया गया है ।

18. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था के स्थायी समाधान हेतु योजना का प्रावधान नहीं किया गया है ।
- (2) रामपुर क्षेत्र के ग्राम दादर कला में नल जल योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च कर टंकी का निर्माण किया गया है, परंतु आज तक उस टंकी में पानी नहीं भरा गया है सुधार करने हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
- (3) ग्राम संदूरी पाली/नवाडीह में पीने के पानी की नितांत आवश्यकता है, गांव में पानी का स्रोत नहीं है, अतः नल जल योजना के तहत सेंदरी पाली/कछार से पानी की व्यवस्था टंकी बनाकर देना होगा, जिसके संबंध में बजट में प्रावधान नहीं किया गया है ।
- (4) रामपुर क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र में कई ग्राम फ्लोराईड, आयरन, कोयला युक्त पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, परंतु ग्राम वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का बजट में उल्लेख नहीं किया गया है ।

19. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम पंचायत रनपुर, सोनपुर, असीला, भकुरा, नर्मदापारा, पसोरा, डरदिपारा, झाई जोन हैं, उक्त ग्राम पंचायतों में पेयजल व्यवस्था हेतु बजट में प्रावधान नहीं किया गया है ।
- (2) ग्राम पंचायत कुसु में फ्लोराईड युक्त पानी है, गांव से नदी 2 कि.मी. दूर है, नल जल या स्पाट सोर्स के तहत गांव में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बजट में उल्लेख नहीं किया गया है ।

20. श्री गिरवर जंधेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में उच्चस्तरीय पानी टंकी निर्माण कराये जाने का उल्लेख नहीं है ।
- (2) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।

- (3) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में नल जल योजना के विस्तार एवं पाईप लाईन का विस्तार किया जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के दूरांचल ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या है, समस्या के समाधान किया जाने का उल्लेख बजट में नहीं किया गया है।

21. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मरवाही विधान सभा क्षेत्र के 3000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में पेयजल हेतु नल जल योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी संग्रहण करने के लिए कोई उचित व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (3) पेयजल समस्या से ग्रस्त ग्रामों में पेयजल प्रदान योजना अंतर्गत मरवाही क्षेत्र के ग्राम उषाढ़ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (4) पेयजल समस्या से ग्रस्त ग्रामों में पेयजल प्रदान योजना अंतर्गत मरवाही क्षेत्र के ग्राम कटरा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (5) पेयजल समस्या से ग्रस्त ग्रामों में पेयजल प्रदान योजना अंतर्गत मरवाही क्षेत्र के ग्राम वेलमिरीथा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (6) पेयजल समस्या से ग्रस्त ग्रामों में पेयजल प्रदान योजना अंतर्गत मरवाही क्षेत्र के ग्राम तेंदूमूड़ा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (7) अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में शासन के मापदण्ड के अनुसार नल जल योजना स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (8) शुद्ध पेयजल के लिए मरवाही ग्राम में नयी पानी टंकी तथा नया पाईप लाईन बिछाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (9) नगर पंचायत पेण्ड्रा में जल आवर्धन योजना स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

22. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के मजरां टोलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।
- (2) कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आवर्धन योजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) कोण्डागांव शहरी क्षेत्र के वार्डों में जल आवर्धन योजना के तहत पाईप लाईन विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) कोण्डागांव जिले के गिरते भू-जल स्तर को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (5) कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र की प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने का प्रावधान नहीं है।
- (6) कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र के ओ डी एफ ग्रामों में निस्तारी हेतु जल की व्यवस्था के लिए नल जल योजना स्वीकृति का प्रावधान नहीं है।

23. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पौना को जल आवर्धन योजना में शामिल किया जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) अकलतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत खिमोरा (बलौदा) को जल आवर्धन योजना में शामिल किया जाने का उल्लेख नहीं है।

24. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मोहला-मानपुर विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेयजल एवं नल जल योजना हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।

25. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सामूहिक नल जल योजना में डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र के अण्डी ग्राम को शामिल नहीं किया गया है।
- (2) डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बहुत से ग्रामों में उच्च स्तरीय पानी टंकी निर्माण को बजट में शामिल नहीं किया गया है।

26. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कोटा एवं रतनपुर नगर पालिकाओं में जल आवर्धन योजना स्वीकृत करने का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या – 55

महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 9,64,88,08,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 39

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में कुपोषण मुक्ति की समुचित कार्ययोजना के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार के वितरण की व्यवस्था सुचारु रूप से करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार का अभाव है।
- (2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों के मानदेय में वृद्धि का प्रावधान नहीं है।

3. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सीतापुर के अंतर्गत समस्त विकासखंडों में महिला स्वसहायता समूह को बढ़ावा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर क्षेत्र में भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में आंगनबाड़ियों में गुणवत्ता युक्त पोषण आहार बच्चों को नहीं दिया जा रहा है।
- (3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के वेतनमान में वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में मितानिनों की मांग को शासन द्वारा पूरा किये जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के नवागढ़ में भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के नवीन भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर में कुपोषण की स्थिति गंभीर है।

7. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से रोकथाम का उल्लेख नहीं है।

8. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश की शालाओं में कार्यरत् रसोईयों के मानदेय बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के वेतनवृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की मितानिनों के मानदेय में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

10. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विभिन्न योजनाओं के तहत गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदाय किया जा रहा है, जिनकी जांच के लिए लेबोरेट्री बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में कार्यरत् मितानिनों के भत्ते एवं मानदेय वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में कार्यरत् आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित एवं वेतनवृद्धि का उल्लेख नहीं है।

12. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण वितरण की उचित व्यवस्था किये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश में कुपोषण मुक्ति की योजना का उल्लेख नहीं है।

13. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में रेडी टू ईट प्रदाय योजना में आर्थिक अनियमितता रोकने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत डोमरी, ग्राम पंचायत कोटवी में आंगनबाड़ी भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (2) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बलोदा नगर में आंगनबाड़ी भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

15. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में कार्यरत् आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश में कार्यरत् मितानिनों को मानदेय देने बाबत् प्रावधान नहीं है।

16. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कुपोषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए कोई भी ठोस कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
- (2) आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरित किये जाने वाले पोषण आहार 'रेडी टू ईट' गुणवत्ताहीन है।
- (3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या – 34

समाज कल्याण

मतदेय राशि

रूपये 85,69,43,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 26

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को नियमित पेंशन भुगतान की योजना का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के निःशक्त विकलांगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना का प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार के वितरण की व्यवस्था सुचारु रूप से करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर क्षेत्र के सभी निःशक्तजनों दिव्यांगों को ट्राईसिकल एवं कृत्रिम अंग प्रदान करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) अभनपुर क्षेत्र में दिव्यांग शिविर आयोजित करन दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाकर देने की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में दिव्यांगों को शासकीय नौकरी दिये जाने में सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पेंशनधारी हितग्राहियों को नियमित पेंशन भुगतान का प्रावधान नहीं है।

4. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

निराश्रित पेंशन, विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग आदि पेंशन में वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, निःशक्तजन पेंशन, विधवा पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गुण्डरदेही विकासखंड के ग्राम केचांदुर में संचालित निःशक्त आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (स्कूल) के बच्चों को पर्याप्त सुविधा व अधिक से अधिक निःशक्त बच्चों के प्रवेश के संबंध में उनके अध्ययन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पेंशन राशि 1000/- रूपये करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) विधवाओं एवं विकलांगों को पेंशन के लिए गरीबी रेखा सर्वे के बंधन से मुक्त करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

समाज कल्याण के लिए ग्रामीणों को उनके कल्याण के लिए कोई ठोस कदम उठाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 17

सहकारिता

मतदेय राशि

रूपये 1,66,04,26,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 15

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में सहकारी समितियों के निर्वाचन समयावधि में कराने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दी जाने वाली सहायता में सरलीकरण किये जाने का प्रावधान नहीं है।

2. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अमानक बारदानों के कारण धान खरीदी कार्य प्रभावित रहा।

3. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर-चांपा जिले के सेंदरी में खाद गोदाम बनाने की आवश्यकता है। खाद गोदाम निर्माण की स्वीकृति दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सहकारिता से जुड़े हुए किसानों की जमा राशि में ब्याज दिये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

5. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत खैजा में खाद्य गोदाम का उल्लेख नहीं है।
- (2) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत सांकर में खाद्य गोदाम भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत परमाटी माला (अकलतरा) में खाद्य गोदाम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिमोग (बलौदा) में खाद्य गोदाम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

6. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला बस्तर में औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए शक्कर कारखाना खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

7. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) शंकरगढ़ में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (2) सामरी विधान सभा क्षेत्र के राजपुर में गन्ना खरीदी केन्द्र की स्थापना का प्रावधान नहीं है।

8. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

रामपुर, डोंगरगांव में खाद गोदाम भवन की मांग काफी समय से है, किन्तु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पेंण्डी में सहकारी सोसाइटी गोदाम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

10. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के किसानों का शत प्रतिशत धान सोसाइटियों से खरीदे जाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के धान खरीदी केन्द्रों में बड़े पैमाने पर धान खरीदी में अनियमितताएं हुई हैं, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
- (2) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा एवं शेड निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) धान का 2100 रूपये समर्थन मूल्य एवं 300 रूपये बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) धान खरीदी केन्द्र में हुए भ्रष्टाचार एवं धान की मात्रा में कमी के दोषियों पर कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 26

संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 42,45,97,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 30

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने एवं आर्थिक उत्थान करने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश के पुरातात्विक महत्व के स्थानों के संरक्षण का प्रावधान नहीं है।

2. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भोजपुरी साहित्य अकादमी के गठन का प्रावधान नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के कलाकारों को पर्याप्त मानदेय प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के कलाकारों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है।
- (3) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के पुरातात्विक महत्व के स्थानों की खुदाई करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (4) राजिम तीर्थ स्थल के धार्मिक पुरातात्विक महत्व को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने हेतु राजिम कुंभ में कोई भी उल्लेखनीय आयोजन नहीं किया जा रहा है।
- (5) पुरखौती मुक्तांगन में प्रदेश की सभी तहसीलों की संस्कृति एवं परम्परा को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है।

4. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर संभाग अन्तर्गत पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व की वस्तुओं / मूर्तियों / भवनों के संधारण व संरक्षण का प्रावधान नहीं है।

5. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के सभी ऐतिहासिक / पुरातात्विक स्थानों में सुरक्षा हेतु सीसी टीवी कैमरे लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कोंडागांव में विश्व प्रसिद्ध बेलमेटल शिल्पकला के कलाकारों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। सम्मान प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर की संस्कृति के बचाव हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के लोक कलाकारों को विभिन्न आयोजनों में पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है।

7. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

समूचे प्रदेश सहित बस्तर संभाग व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की वर्षो पुरानी पुरातात्विक सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर को सहेजने व संरक्षित करने हेतु रख-रखाव का प्रावधान नहीं है।

8. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के कलाकारों को सम्मान दिलाने का प्रावधान नहीं है।

9. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के प्राचीन धरोहर व पुरातत्व मंदिर व अन्य स्थलों के जीर्णोद्धार व मरम्मत का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 37

पर्यटन

मतदेय राशि

रूपये 68,22,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 30

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के प्राचीन पर्यटन स्थलों के समुचित विकास का संरक्षण का प्रावधान नहीं है।

2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) चंपारण के विकास हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल चंपारण में यात्रियों के ठहरने हेतु मोटल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम चंडी को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, लेकिन इस स्थान पर पर्यटन विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) पर्यटन स्थल चंपारण में पर्यावरण संरक्षण का उपाय नहीं किया जा रहा है।

3. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर-चांपा जिले के ऐतिहासिक व पर्यटन स्थल पीथमपुर में विकास कार्य हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।

4. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए मेला चतुर्भुजी, तालामंदी, धौराभाठा, मदकूद्वीप, तल आदि तक सिटीबस चलाने का प्रावधान नहीं रखा गया है।

5. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बकावंड व बस्तर के वेंतझरन, डूरकावेड़ा, मधोता आदि ग्रामों में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कांकेर विधान सभा क्षेत्र के मलाजकुडुम जल प्रपात को पर्यटन केन्द्र का दर्जा प्रदान तथा उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधानसभा क्षेत्र भटगांव अन्तर्गत ग्राम सारा-सुरू पर्यटक स्थल के जीर्णोद्धार तथा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रावधान नहीं किया गया है।

8. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डोगरी में आदि शक्ति मां सरई श्रंगार देवी धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हरडी महामाया देवीधाम को पर्यटन स्थल घोषित करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर के पर्यटन स्थलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर के पुरातात्विक धरोहर की सुरक्षा के लिए कोई योजना उल्लेख नहीं है।
- (3) पर्यटन स्थल जंगल सफारी में पार्किंग के नाम से अवैध रूप से अधिक राशि वसूल की जा रही है। बेहतर योजना के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम पंचायत आतोर विकासखंड फरसगांव के लिंगेश्वरी माता का धाम (गुफा) में सर्वयुविधायुक्त भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

10. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मरवाही क्षेत्र के ग्राम कटमरा में निलमगढ़ गुफा पर्यटक स्थल के विकास का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) गौरेला विकासखंड के राजमेढगढ़ पहाड़ी को नया अमरकंटक के रूप में विकसित करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) गुरुनानकदेव एवं संत कबीर जी की मिलन स्थली कबीर चबूतरा विकासखंड गौरेला को संरक्षित स्थल घोषित करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) विकासखंड पेण्ड्रा के लक्ष्मणघाट (पीथमपुर) एवं सोनकुंड (सोनबचखार) को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) पौराणिक महत्व के गां धनपुर को पर्यटन स्थल बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) मरवाही क्षेत्र के ग्राम पिपरिया में मठबाबा पर्यटक स्थल के विकास का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) मरवाही क्षेत्र के ग्राम बस्ती में झोझा जलप्रपात स्थल के विकास का कोई प्रावधान नहीं है।
- (8) मरवाही क्षेत्र के ग्राम बरगवां में मनबाका पर्यटक स्थल के विकास हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (9) मरवाही क्षेत्र के समुदलई पर्यटक स्थल के विकास हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (10) मरवाही क्षेत्र के 1पुर कर्मा मंदिर पर्यटन स्थल के विकास की स्वीकृति नहीं दी गई है।
- (11) मरवाही क्षेत्र के कोटखर्वा ग्राम के मुलमुला पर्यटक स्थल हेतु विकास हेतु प्रावधान नहीं है।
- (12) मरवाही क्षेत्र के ग्राम गुडुम देवरी में नागाबाबा पर्यटक स्थल के विकास का प्रावधान नहीं है।

11. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) डोंडीलोहारा क्षेत्र के मासकोला वन क्षेत्र मोक्षधाम औराघाट को पर्यटन स्थल के लिए शामिल नहीं किया गया है।
- (2) डोंडीलोहारा क्षेत्र के देवपाडुम को पर्यटन स्थल हेतु शामिल नहीं किया गया है।
- (3) डोंडीलोहारा क्षेत्र के मौनी पानी को पर्यटन स्थल बनाने के लिए शामिल नहीं किया गया है।
- (4) डोंडीलोहारा क्षेत्र के देवबाउली को पर्यटन स्थल के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
- (5) डोंडीलोहारा क्षेत्र के वन पण्डेल को पर्यटन स्थल बनाने के लिए बजट में शामिल नहीं किया गया है।

12. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन स्थल में किसी भी पर्यटन स्थल को विकसित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के पर्यटन स्थलों में बुनियादी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं किया गया है।

14. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर जिले के तामड़ाधूमर, चित्रधारा व अन्य स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।

15. डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सिरपुर को विश्वस्तरीय पर्यटन केन्द्र बनाने का उल्लेख नहीं है।